

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट  
कोर्ट रीवा, (म0प्र0)



1- गजाधर पिता जगदीश पटेल R 5224-11/15

2- केशव पिता शंभू पटेल  
दोनो निवासी ग्राम पिपरहा, तह0 सिहावल, जिला सीधी म0प्र0

-----निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम्

- 1- इन्द्रमणि पिता पिताम्बर पटेल ।
- 2- रामसकोचे पिता शोभनाथ पटेल ।
- 3- रामनाथ पिता बैजनाथ पटेल ।
- 4- रामधार पिता रामप्रगास पटेल ।

सभी निवासी ग्राम पिपरहा, तह0 सिहाबल, जिला सीधी (म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई0 विरुद्ध आदेश  
अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा,  
जिला रीवा म0प्र0 के अपील प्र.क.  
166/अपील/14-15 आदेश दिनांक  
20/11/2015

श्री. अरुण टिक्टा एड  
द्वारा आज दिनांक 12-12-15  
प्रस्तुत किया गया।  
बैठक 14-12-15  
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय

संक्षिप्त विवरण

यह कि उत्तरवादीगण द्वारा तहसीलदार तह0 सिहाबल जिला सीधी के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 131-132 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपरहा तह0 सिहाबल जिला सीधी म0प्र0 स्थित भूमि नं0 161/2 एवं 161/3 जिसके भूमि स्वामी अपीलार्थीगण है के द्वारा रुढिगत् रास्ते को बाडी रुंध कर

*(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5224-II/15

जिला-सीधी

गजाधर पटेल/इन्द्रमणि पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	